विवरणिका

शासकीय गुण्डाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोण्डागाँव
जिला-कोण्डागाँव(छ.ग.)

आग्नेय सुपथा राये

शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)

शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोण्डागाँव,
जिला- कोण्डागाँव (छ.ग.)

नागरिकअधिकार पत्र

शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना सन् 1982 में हुई थी। अब महाविद्यालय का नया भवन रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पर दो किलामीटर दूर जिलाधीश निवास के बाजू में स्थित है। महाविद्यालय के सामने क्रीड़ांगम स्थित है। महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों के विविध का अध्यापन होता रहा है। समृद्ध पुस्तकालय एवं साधन सम्पन्न प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं।एन.सी.सी. तथा रा.से.यो. की इकाइयाँ छात्र के बहुमुखी विकास के लिए प्रत्यनशील रहती हैं। अनेक खेलों के भी पर्याप्त व्यवस्था है। साथ ही छात्रों की मूलभूत सुविधाओं का भी व्यापक पैमाने पर विस्तार किया जाकर उनके उनके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई हैं।सायकल, मोटर सायकल के रख रखाव हेतु शेडयुक्त स्थाई सायकल स्टैण्ड, स्नेह सम्मेलन हेतु शेडयुक्त मंच एवं जिम्नेजियम हॉल की भी व्यवस्था है।

प्रस्तुत विवरण पत्रिका में महाविद्यालीय की समस्त गतिविधियों, नियमों, प्रवेश प्रक्रिया, आचरण संहिता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। विवरण पत्रिका में महाविद्यालय से संबंधित प्रायः सभी जानकारी उपलब्ध है। अतः अनभिज्ञतावश किसी नियम का उल्लंघन करना क्षमा योग्य नहीं होगा।

उपयोगी जानकारी

महाविद्यालय का सत्रः-

ग्रीष्मावकाश के पश्चात् 16 जून से प्रारंभ व 30 अप्रैल को समाप्त।

स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्धमें प्रवेशः-

1. प्रवेश आवेदन पत्र 16 जून से महाविद्यालय के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून अथवा प्राचार्य द्वारा घोषित तिथि।
3. प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि प्रवेश सूची के साथ जारी की जायेगी।

संस्था में पढ़ाये जाने वालें संकाय विषय इत्यादि की समूहवार जानकारीः

(1) स्नातक स्तर -

(अ) कला संकाय-

1. अनिवार्य विषयः- आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन)
2. वैकल्पिक विषय- निम्न विषय समूह में से किन्हीं तीन विषय का चयन किया जाना हैः-

(1) समाजशास्त्र (2) इतिहास/अंग्रेजी साहित्य
(3) राजनीतिशास्त्र या गृह विज्ञान (4) हिन्दी साहित्य
(5) अर्थशास्त्र (6) भूगोल (7) प्रायोगिक कार्य (जहां आवश्यक हो)

टीपः-उक्त वैकल्पिक विषयों को 10 विषय-समूह **-A,B,C,D,E,F,G,H,K,वJ** में विभक्त किया गया है।

(ब) विज्ञान संकायः–

(1) अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन)

(2) वैकल्पिक विषय – निम्न विषय समूह में से किन्हीं तीन समूहों के एक विषय का चयन कर कुल तीन विषय लेना है–

समूह अ. 1. भौतिक शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. गणित

समूह ब. 1. रसायन शास्त्र 2. प्राणीशास्त्र 3. वनस्पतिशास्त्र

समूह स. बी.एससी. कम्प्यूटर साइंस 1. भौतिक शास्त्र 2. गणित 3. कम्प्यूटर साइंस

(स) वाणिज्य संकायः– बी.कॉम.

(2). स्नातकोत्तर स्तर–

निम्न में से किसी एक विषय का चयन करें

(अ)एम.ए. 1. अर्थशास्त्र 2. समाजशास्त्र 3. राजनीतिशास्त्र 4. हिन्दी 5. भूगोल 6. इतिहास

(ब)एम.एससी. 1. गणित 2. रसायनशास्त्र

(स) एम.कॉम.

कक्षाओं में निर्धारित प्रवेश संख्याः–

क्रमांक	कक्षा	सीट
1	बी.ए. भाग एक	180
2	बी.एससी भाग एक (गणित समूह)	40
	बी.एससी भाग एक (जीवविज्ञान समूह)	120
	बी.एससी भाग एक (कम्प्यूटर साइंस समूह)	20
3	बी.कॉम भाग एक	75
4	बी.सी.ए. भाग एक	30
5	एम.ए. सेमेस्टर 1. हिन्दी 2. समाजशास्त्र 3. राजनीतिशास्त्र 4. हिन्दी 5. भूगोल 6. इतिहास	 40 33 33 33 25 25
6	एम.एससी. सेमेस्टर 1. गणित 2. रसायनशास्त्र	 20 25
7	एम.कॉम. सेमेस्टर	40

प्रवेश के लिए भुगतान योग्य शुल्क का विवरणः- (शासन द्वारा निर्धारित)

(1) शासकीय शुल्कः-

क्र.	कक्षा	शिक्षण शुल्क	प्रवेश शुल्क	विज्ञान शुल्क	योग
1.	बी.एससी	115	3	20	138
2.	बी.ए.	115	3	-	118
3.	बी.कॉम	115	3	-	118
4.	बी.सी.ए.	115	3	20	138
5.	स्नातकोत्तर कला संकाय	120	3	-	123
6	स्नातकोत्तर (विज्ञान)	120	3	20	143

(2) अशासकीय शुल्कः- (प्रत्येक प्रवेशार्थी को भुगतान करना होगा)

स्नातक स्तर-

क्रं.	विवरण	शुल्क रू.	क्रं.	विवरण	शुल्क रू.
1.	स्टेशनरी	5.00	14.	नामांकन पत्र (आवे. पत्रसहित)	60.00
2.	संघ प्रवेश शुल्क	5.00	15.	अवधान शुल्क	150.00
3.	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5.00	16.	जनभागीदारी शुल्क	310.00
4.	परिचय पत्र/ग्रंथालय कार्ड	10.00	17.	विज्ञान विकास शुल्क	50.00
5.	महाविद्यालय विकास शुल्क	30.00		(केवल विज्ञान के छात्रों हेतु)	
6.	निधि शुल्क	30.00	18.	स्थानीय परीक्षा शुल्क	100.00
7.	क्रीडा शुल्क	20.00	19.	संबंद्धता शुल्क	100.00
8.	स्नेह सम्मेलन	30.00	20.	एन.एस.एस.	20.00
9.	शा. क. शुल्क	250.00	.		
10	वाचनालय शुल्क	30.00			
11.	ग्रंथालय शुल्क	30.00			
12.	सायकल स्टैण्ड शुल्क	25.00			
13.	पत्रिका शुल्क	25.00			

(3) अशासकीय शुल्कः- (प्रत्येक प्रवेशार्थी को भुगतान करना होगा)

स्नातकोत्तर स्तर -

क्रं.	विवरण	शुल्क रू.	क्रं.	विवरण	शुल्क रू.
1.	स्टेशनरी	5.00	8.	स्नेह सम्मेलन	30.00
2.	संघ प्रवेश शुल्क	5.00	9.	शा.क. शुल्क	250.00
3.	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5.00	10.	वाचनालय शुल्क	30.00
4.	परिचय पत्र/ग्रंथालय कार्ड	10.00	11.	ग्रंथालय शुल्क	30.00
5.	महाविद्यालय विकास शुल्क	30.00	12.	सायकल स्टैण्ड शुल्क	25.00
6.	सम्मिलित निधि शुल्क	30.00	13.	पत्रिका शुल्क	25.00
7.	क्रीडा शुल्क	20.00	14.	नामांकन पत्र (आवे.पत्र.सहित)	60.00

क्रं.	विवरण	शुल्क रू.	क्रं.	विवरण	शुल्क रू.
15.	अवधान शुल्क (केवल विज्ञान के छात्रों हेतु)	150.00	19.	(केवल विज्ञान, भूगोल एवं एम.एससी. के छात्रों हेतु)	50.00
16.	संबंद्धता शुल्क	50.00	20.	एन.एस.एस.	20.00
17.	स्थानीय परीक्षा शुल्क	30.00			
18.	जनभागीदारी शुल्क	360.00			

टीपः– (1) शासकीय शुल्क समस्त छात्राओं को माफ होगी।

(2) एस.टी./एस.सी. वर्ग के सभी छात्रों को शासकीय शुल्क माफ।

(3) प्रत्येक विषय में न्यूनतम 10 छात्रों को प्रवेश अनिवार्य होगा।

(4) प्रवेश के समय दो फोटो साथ लावें।

विशेषः– अवधान राशि अमानत प्रमाण–पत्र लाने पर वापस ली जा सकती है, तीन वर्ष पूरे होने पर ये राजसात हो जाती है।

प्रवेश की अंतिम तिथिः

स्थानान्तरण प्रकरणों को छोड़कर

(1) प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जुलाई प्राचार्य के अधिकार के तहत।
माननीय कुलपति महोदय के अनुमति पर 14 अगस्त तक देय होगी।
(2) प्रवेश पश्चात बिना सम्यक कारण के स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र नहीं दिया जावेगा।
(3) स्थानान्तरण प्रकरणों में यथास्थिति समय कार्यालय के आदेश ही मान्य होंगे।

प्रवेश का नवीनीकरणः

पूर्व सत्र के नियमित प्रवेश प्राप्त, उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का स्नातक द्वितीय भाग एवं तृतीय भाग में अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में बिना गैप के प्रवेश नवीनीकरण 16 जून को स्वतः प्रवेश दे दिया जायेगा।

प्रवेश की नवीनीकरण की अंतिम तिथिः

कक्षाओं में स्थान रिक्त रहने पर अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले तथा स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। ऐसे सभी प्रवेशार्थियों के लिये वे सब नियम लागू होगें जो स्नातक भाग एक के प्रवेशार्थियों के लिये हैं।

स्नातक भाग दो व तीन/स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में नवीन प्रवेशः

महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने के 10 दिन बाद तक नियमित प्रवेश हेतु आवेदन शुल्क सहित जमा की जा सकती है। आवेदन के साथ उत्तीर्ण परीक्षा की सत्यापित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य है। पूनर्मूल्यांकन के छात्रों का प्रवेश परिणाम प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर स्थान उपलब्ध होने पर पात्रतानुसार ही देय होगी।

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रियाः

1. प्रवेश आवेदन पत्रों का वितरण 16 जून से प्रारंभ होगा। आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 30 जून – परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन तक

नवीन	– 16 जून से 30 जून
प्रवेश नवीनीकरण	– 16 जून को स्वतः हो जायेगा
कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर	– 30 जुलाई तक
माननीय कुलपति के अनुमति से	– 14 अगस्त तक
पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण रहने पर	–मुख्य परीक्षा परिणाम की तिथि से............ दिन तक (यदि स्थान रिक्त हो तो)

आवेदनपत्र के साथ जमा होने वाले प्रमाण– पत्रों की सूचीः

1. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र।
2. उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची, 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की भी अंकसूची करें।
3. अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र
4. जाति प्रमाण–पत्र (केवल अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग हेतु)
5. शासकीय कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र।
6. विकलांगता प्रमाण–पत्र।
7. क्रीडा प्रमाण–पत्र (यदि हो तो)
8. आब्रजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन) (अन्य वि.वि. से उत्तीर्ण छात्रों के लिये)
9. पात्रता प्रमाण–पत्र (अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग हेतु)
10. पात्रता प्रमाण–पत्र (अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग हेतु)
11. बी.पी.एल. श्रेणी का प्रमाण–पत्र।

नोट : आवेदन के प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियां ही संलग्न करें। लेकिन प्रवेश शुल्क देते समय स्थानांतरण प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण, आब्रजन तथा पात्रता प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

प्रवेशकी पात्रताः–

1. छ.ग. के मूल/स्थायी निवासी छ.ग. में पदस्थ राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारी, भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को प्रवेश दिया जायेगा।
2. अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा।
3. स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्णांक का न्यूनतम अंक सीमा में 2 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
4. स्नातक स्तर पर 22 वर्ष स्नातकोत्तर पर 25 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। एस.टी./एस.सी. को छूट की पात्रता है।

5. अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) के आवेदकों को निर्धारित न्यूनतम अंक सीमा में 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
6. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक घोषित आवेदक को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर स्थायी प्रवेश होगा।

(2) अधिभारः– प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारण के लिये निम्न प्रमाण–पत्रों के अधिभार देय होगा।

(क) एन.सी.सी./स्काउट/एन.एस.एस.ः–

ए सर्टीफिकेट	–	2
बी सर्टीफिकेट	–	2
सी सर्टीफिकेट	–	2
गणतंत्र दिवस परेड	–	5

(ख) खेलकूद/साहित्यक/सांस्कृतिक/क्विज प्रतियोगितायेंः–

1. लोक शिक्षण या उच्च शिक्षा संलालनालय द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 4 प्रतिशत अधिभार दिया जावेगा।
2. राज्य स्तर प्रतियोगिता में स्थान पाने वाले टीम सदस्य को 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत अंको का अधिभार दिया जावेगा।
3. समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को 5 प्रतिशत अधिभार।
4. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक टीम सदस्य को 15 प्रतिशत प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त टीम को 20 प्रतिशत अधिभार दिया जावेगा।
5. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नही दी जायेगी।

(3) संकाय परिवर्तनः– स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा का संकाय विषय परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले प्राप्तांको का 5 प्रतिशत घटाकर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा। एक बार प्रवेश लेने के बाद संकाय/विषय/ग्रुप (समूह) परिवर्तन की अनुमति 30 सितम्बर तक दी जावेगी।

विशेषः–

1. जाली प्रमाण–पत्र, गलत जानकारी, जानबुझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी को प्रवेश मिल गया हो, तो ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है।
2. प्रवेश लेकर पूर्व अनुमति के बिना लगातार एक माह तक अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य उस छात्र का नाम निरस्त कर सकते हैं।
3. सत्र के दौरान अनुशासन हीनता के प्रकरणों में लिप्त छात्र का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को है।
4. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सत्र में 75 प्रतिशत अनिवार्य है, अन्यथा नियमित परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। छात्रवृत्ति के भी पात्र नहीं होगे।
5. कोई भी नियमित छात्र अपने साथ गैर महाविद्यालयीन छात्र को संस्था नहीं लायेगा।

(4) प्रवेश हेतु अर्हतायेंः–

1. पूरक प्राप्त छात्रों को स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. किसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में एक बार प्रवेश लेकर अध्ययन छोड़ने, अनुतीर्ण होने वाले छात्र को उसी संकाय की उस कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
3. जिनके वरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो, अथवा न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहा हो, परीक्षा में पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपी व्यक्ति को प्रवेश से वंचित किया जावेगा।
4. अधिकतम आयु सीमा स्नातक स्तर पर 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 25 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को प्रवेश की पात्रता नहीं हैं, किन्तु अ.जा./अ.ज.जा./पिछडे वर्ग के लिये सीमा में तीन वर्ष की छूट है। वर्तमान में शासन के आदेशानुसार प्रवेश आयु सीमा का कोई बंधन लागू नहीं है।
5. पूर्वकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारियों को उसकी दैनिक कार्यावधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त व्यक्ति को किसी अन्य संकाय के स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता नहीं है।

प्रवेशहेतु प्राथमिकताः–

1. सर्वप्रथम अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र, फिर भूतपूर्व नियमित तत्पश्चात् स्वाध्यायी छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा।
2. सर्वप्रथम स्थानीय छात्रों को, फिर तहसील, जिला तथा समीपस्थ अन्य जिलों से अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

आरक्षणः–

1. अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिये क्रमशः 12ः और 32ः प्रतिशत स्थान आरक्षित।
2. पिछड़े वर्ग (क्रीमोलेयर को छोड़कर) के लिये 4ः आरक्षित।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र, पुत्री, प्रपुत्री एवं विकलांगो के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित।
4. प्रवेश की अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थान न भरे जाने पर आरक्षित स्थान सामान्य श्रेणी के आवेदक के लिये उपलब्ध रहेंगे। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किये जा सकते हैं।

प्रवेशकी सामान्य शर्तेंः–

1. कार्यालय से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
2. पूर्ण व स्पष्ट रूप से भरा आवेदन समय सीमा में कार्यालय में जमा हो। अपूर्ण जानकारी युक्त आवेदन निरस्त समझा जायेगा।
3. निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं होने पर आवेदन निरस्त हो जावेगा।

छात्रों के लिये महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें। 15 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर नाम निरस्त कर दिया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय नामांकन के लिये आवेदन तथा परीक्षा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित समय तक कार्यालय में जमा करना प्रत्येक छात्र की जिम्मेदारी होगी।
3. 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रहने पर न तो छात्रवृत्ति दी जावेगी और न ही नियमित परीक्षार्थी के रूप में बैठने दिया जावेगा।
4. छात्रावासियों को प्रतिमाह कक्षा की उपस्थिति तथा छात्रावास की उपस्थिति लिखित में देनी होगी। तभी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जावेगा।
5. किसी कार्य या जानकारी के लिये संबंधित सहायक प्राध्यापक/कर्मचारी से सम्पर्क किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में प्राचार्य से मिले।

विद्यार्थीआचार संहिताः–

सामान्य नियमः–

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेश-भूषा में महाविद्यालय में आयेंगे। किसी भी स्थिति उनकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्णध्याान अध्ययन मे लगाएगें, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषाओं का प्रयोग, गाली-गलौज, मारपीट या अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगे।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं शालीनता का व्यवहार करेंगे।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है। वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वदा वर्जित है।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन हिंसा या आंतक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों का मनवाने के लिये राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल, पान मसाला, गुटका, धूम्रपान का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

10. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।

11. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उन्हें स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा।

12. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करने वाले विद्यार्थियों को ही निर्धारित संख्या में पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा निर्धारित समय में न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देय होगा।

13. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों से समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

परीक्षा संबंधी नियमः-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी का शासकीय परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार का अधिकार क्षेत्रः-

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में लिप्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छ.ग. शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किए जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

<u>**महाविद्यालय में छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधायें:-**</u>

(क) शुल्क मुक्ति की सुविधा:-

1. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री को विभागीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क मुक्त रहेगा।
2. सभी छात्रायें उपाधि पाठ्यक्रम तक शिक्षण शुल्क मुक्त रहेंगी।
3. दो भाइयों के साथ-साथ महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर कनिष्ठ भाई का अर्ध शिक्षण शुल्क लगेगा।
4. अ.जा./अ.ज.जा. छात्र जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पूर्ण शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
5. निर्धन छात्र द्वारा आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर शुल्क सहायता प्राप्त कर सकते है।

(ख) छात्रावास सुविधा:-

पोस्ट मैट्रिक छात्रावास अनु. जाति एवं अनु.जन. जाति के छात्र/छात्राओं के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें छात्र/छात्राएं प्रवेश ले सकते है, प्रवेश के लिए आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त करें।

(ग) ग्रंथालय :-

छात्रों एवं शिक्षकों के लाभार्थ एक समृद्ध ग्रन्थालय है जिसमें 40,000 से अधिक पुस्तकें हैं। ग्रंथालय कार्ड पर प्रत्येक छात्र को 4 पुस्तकें पन्द्रह दिन के लिये दी जाती है पन्द्रह दिन के बाद पुस्तकें न लौटाने पर रूपये 2.00 प्रतिदिन की दर से दण्ड देना पड़ता है। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र लेने के पूर्व सभी पुस्तकें लौटाना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र परीक्षा में पुस्तकें रखना चाहे तो उन पुस्तकों का मूल्य जमा कर सकता है और बाद में लौटाने पर जमा राशि वापस ले सकता है।

(घ) बुक बैंक योजना:-

अ.जा./अ.ज.जा. जाति वर्ग के छात्रों के लिये शासन द्वारा बैंक योजना चालू की गई हैं जिसके अंतर्गत दो छात्रों के प्रत्येक बैच को सभी विषयों के एक सेट पूर्ण सत्र् के लिये दिया जावेगा। ये पुस्तकें सत्र समाप्त होने पर ग्रंथालय में जमा करना होगा।

(ड) बी.पी.एल. बुक बैक योजना:-

आगामी शैक्षणिक सत्र से शासन के निर्देशानुसार बी.पी.एल. बुक योजना लागू की गई है। इस हेतु छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र प्रवेश हेतु आवेदन के साथ ही जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् शासन के प्रावधानों एवं निर्देशानुसार संबंधित को योजना का लाभ दिया जायेगा।

(च) वाचनालय:- छात्रों के सामान्य ज्ञानवर्धन के लिये वाचनालाय की सुविधा है जिसमें अनेक पत्र-पत्रिकायें पढ़ने के लिये उपलब्ध करायी जाती है। अवकाश के क्षणों में छात्र वाचनालय का उपयोग कर सकते है। वाचनालय में छात्रों को बैठकर नियमित अध्ययन की सुविधा प्रदान की गई है।

(च) निःशुल्क स्टेशनरीः-

अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों को शासन द्वारा निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय की जाती है। (आबंटन प्राप्त होने पर) महाविद्यालय स्तर पर निम्न प्रकार की छात्रवृत्तियां उपलब्ध होती है।

छात्र छात्रवृत्ति प्रभारी अध्यापक से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- योग्यता एवं साधन के आधार पर।
2. राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति - योग्यता एवं साधन के आधार पर।
3. एकीकृत शिष्यवृत्ति- हायर सेकेण्डरी में 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्रों के लिये।
4. एकीकृत शिष्यवृत्ति - योग्य 45 प्रतिशत से अधिक अंक शासन के साधन के आधार पर।
5. खेलकूद छात्रवृत्ति- योग्यता के आधार पर।
6. राष्ट्रीय छात्र सेना- योग्यता के आधार पर।
7. शासकीय कर्मचारी विशेष शिष्यावृत्ति - छ.ग. के निवासी सैनिकों के लिये विशेष।
8. मृत सैनिक बच्चों को शिष्यावृत्ति -छ.ग. के निवासी सैनिकों के लिये विशेष।
9. निर्धन योग्य छात्रों के छात्रवृत्ति - निर्धनता व योग्यता के छात्रों के लिये विशेष।
   बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) छात्र कल्याण छात्रवृत्ति शासन के निर्देशानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र बी.पी.एल. श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छात्र/छात्राओं हेतु कल्याण छात्रवृत्ति योजना लागू की जानी है। इस हेतु संबंधित छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाण पत्र प्रवेश फार्म के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् शासन के निर्देशानुसार योजना का लाभ संबंधित को दिया जावेगा। दर 300/-रू. प्रतिमाह दी जायेगी।

(ज) महाविद्यालय में शैक्षणेत्तर गतिविधियाँः-

1. **राष्ट्रीय छात्र सेना (एन.सी.सी.)-** महाविद्यालय में 130 की यूनिट गठित की जाती है, महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात इच्छुक छात्रों को रा.छा.से. के लिये आवेदन करना होता है नियमित गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र परीक्षा उपरान्त बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त करतें है, शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिये रा.छा.से प्रमाण पत्र धारी को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिये छात्रों को रा.छा.से. में अवश्य भाग लेना चाहिए।
2. **राष्ट्रीय सेवा योजना-** महाविद्यालय में रा.से.यो. की एक इकाई की जाती है। प्रत्येक कक्षा से इच्छुक छात्र इकाई में प्रवेश ले सकते है। छात्रों को कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए। रा.से.यो. का बी एवं सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले छात्रों को शासकीय सेवा में प्राथमिकता दी जाती है।
3. **इको क्लब-** महाविद्यालय में 50 छात्र/छात्राओं की एक यूनिट गठित की गई है। इसके तहत् छात्र/छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है।
4. **रेडक्रास सोसायटी -** 50 छात्र/छात्राओं की एक इकाई महाविद्यालय में विगत 2 वर्षो से प्रभावशील है, इकाई के माध्यम से फर्स्टएड एवं अन्य बिमारियों के संबंध में कोण्डागाँव के विभिन्न अस्पतालों के डाक्टर्स को छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समय पर आमंत्रित किया जाता है।

(झ) खेलकूदः–

महाविद्यालय में क्रिकेट, फूटबॉल, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स तथा इण्डोर गेम की सुविधा है। सत्र के प्रारंभ में विभिन्न खेलों की टीमें चयन कर अभ्यास कराया जाता हैं। महविद्यालय में संभाग तथा राज्य स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित होती है। योग्य छात्रों को इन गतिविधियों में अवश्य भाग लेना चाहिए, उससे सम्मान, पुरस्कार एवं शासकीय सेवा में प्राथमिकता दी जाती है।

टीपः– दिये गये नियम निर्देशों में किसी तरह की त्रुटि की स्थिति में शासन विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।

शासकीय गुण्डाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोण्डागाँव
जिला-कोण्डागाँव(छ.ग.)
आग्नेय सुपथा राये

महाविद्यालयीन वार्षिक कार्य योजना

1. सत्र प्रारंभ	–	17 जून
2. प्रवेश प्रक्रिया	–	प्राचार्य अधिकार 15 जून से 30 जुलाई तक
3. कुलपति का अधिकार	–	14 अगस्त तक
4. छात्रसंघ गतिविधियां	–	अगस्त/सितम्बर
चवुनाव प्रक्रिया	–	(तिथि वि.वि .द्वारा घोषित की जावेगी)
शपथ ग्रहण	–	31 अगस्त तक (सम्भावित)
5. खेलकूद प्रारंभ (शासन स्तर पर)	–	16 जुलाई से 20 सितम्बर महाविद्यालयीन स्तर पर
6. एन.सी.सी/एन.एस.एस.द्वारा–		
वृक्षारोपण	–	जुलाई दूसरा सप्ताह
शिविर गतिविधियाँ	–	अक्टूबर से दिसम्बर एन.एस.एस. शिविर (प्रस्तावित)
7. विभिन्न अवकाशः		
दशहरा	–	पृथक से घोषित
दीपावली	–	पृथक से घोषित
शीतकालीन	–	पृथक से घोषित
8. आंतरिक मूल्यांकनः		
(1) प्रथम इकाई मूल्यांकन	–	31 जुलाई तक
(2) द्वितीय इकाई मूल्यांकन	–	31 जुलाई तक
प्रथम सत्र परीक्षा (त्रैमासिक)	–	25 से 30 सितम्बर
(3) तृतीय इकाई मूल्यांकन	–	31 अक्टूबर
द्वितीय सत्र परीक्षा (अर्द्धवार्षिक)	–	25 से 30 नवम्बर
(4) चतुर्थ इकाई मूल्यांकन	–	20 दिसम्बर 2
(5) पंचम इकाई मूल्यांकन	–	20 जनवरी (जनवरी अंतिम सप्ताह)
9. पालक दिवसः		
5 अक्टूबर 2016 से 3 फरवरी 2017 तक		
30: पाठ्यक्रम पूर्ण	–	31 अगस्त तक
60:पाठ्यक्रम पूर्ण	–	30 अक्टूबर तक
100:पाठ्यक्रम पूर्ण	–	25 फरवरी तक
10. पाठ्यक्रम पुनरालोकन	–	25 फरवरीतक
वार्षिक परीक्षा कार्यक्रमः		
प्रायोगिक	–	19 फरवरीसे 3 मार्चतक
वार्षिक परीक्षा	–	1 मार्च से 30 अप्रैल तक संभावित

नोटः– वार्षिक परीक्षा समय सारिणी का प्रकाशन विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से किया जायेगा।

—o0o—